राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ.55 ( )विविध/21/कोरोना/ 26242–435 दिनांकः– 30/04/2021

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :– **कोरोना काल में आमजन में जन–जागरूकता हेतु सघन जन–जागरूक अभियान के क्रम में।**

प्रसंग :– **निदेशालय के पत्रांक एफ.55 ( )पीए/सीई/डीएबली/कोरोना/2021/22112–22315 दिनांक 07.04.2021 एवं निदेशालय के पत्रांकः एफ.55 ( ) विविध/21/कोरोना/SPL-3 दिनांक 26.04.2021**

उपरोक्त प्रांसगिक पत्रों द्वारा कोविड–19 से होने वाली मृत्यु पश्चात पार्थिव देह के सहसम्मान अंतिम संस्कार हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड–लाईन दिनांक 07.09.2020 की पालना सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में एम्बूलेंस/शव वाहन/मोक्ष वाहिनी की व्यवस्था तथा अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने व कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने एवं जन–जागरण के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सार्वजनिक परिवहन के साधनों यथा ई–रिक्शा/साईकिल रिक्शा/ऑटो–रिक्शा के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु निर्देशित किया गया था।

निकायों द्वारा कोविड–19 से होने वाली मृत्यु पश्चात पार्थिव देह के सहसम्मान अंतिम संस्कार हेतु आवश्यकतानुसार निकाय अपने स्तर पर किराये पर एम्बूलेंस/शव वाहन/मोक्ष वाहिनी की व्यवस्था कर सकेगी। कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी कोविड–19 गाइड–लाईन की पालना के क्रम में जन–जागरण के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ई–रिक्शा/साईकिल रिक्शा एवं ऑटो–रिक्शा को नगर निगम, परिषद् व पालिका हेतु क्रमशः 50, 25 व 10 की संख्या में किराये पर लेने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यकतानुसार एम्बूलेंस/शव वाहन/मोक्ष वाहिनी कोविड जनित मृत्यु अथवा संदेहास्पद कोविड जनित मृत्यु के शवों के परिवहन हेतु किराये पर लेने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त कोविड प्रोटोकॉल की पालना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ई–रिक्शा/साईकिल रिक्शा एवं ऑटो–रिक्शा की उपरोक्तानुसार निर्धारित की गई संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि करने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

Scanned with CamScanner

क्रमांक :– एफ.55 ( )विविध / 21 / कोरोना / 26436 – 476 दिनांकः– 30/04/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1 निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2 निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3 जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
4 अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
5 निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
6 उप निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय।
7 प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईटर पर अपलोड़ करने हेतु।
8 सुरक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक

Scanned with CamScanner